

प्रेषक :-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151448/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 028/2023-BHO/ दिनांक 04.09.2024

—0—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

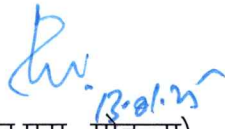
क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	As per KML, the KML area (24°18'9.71"N, 82°28'30.78"E, 24°16'28.21"N, 82°27'13.62"E) has some boundary discrepancy which should be reviewed by the concerned DFO and necessary justification shall be submitted	वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2024 से अवगत कराया है कि KML file क्षेत्र के कॉर्डिनेट की समीक्षा उपरांत सही पाया गया है, जो वास्तविक क्षेत्र की स्थिति के अनुसार ही है।
2	The State Govt shall provide details of other proposals along with the current status of cases related to "Gond-Devsar Rural Drinking Water Supply Scheme" and brief the proposal accordingly	आवेदक संस्थान द्वारा अन्य प्रकरणों का विवरण एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 09 पर अपलोड किया गया है।
3	The boundary of CA area related to the said proposal is need to be delineated in the KML of CA area of 17 ha (out of total 20.80 ha area).	वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2024 से अवगत कराया है कि KML file एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रकबा 14.00 हेक्टेयर की ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड किया गया है।
4	The State Govt has also provided the DFL in PF-421, Range-Mada for planting balance plantation of CA for which KML has not been furnished.	वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली ने अपने पत्र दिनांक 25.10.2024 से अवगत कराया है कि प्रस्ताव में 14.00 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वनभूमि की KML file , स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र, वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।

5	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted / uploaded.	वन मण्डल अधिकारी द्वारा Justification भाग-1 के एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 09 पर अपलोड किया गया है।
6	Comments of CWLW, Madhya Pradesh with reference to location of the project in Sanjay Tiger Reserve shall be submitted.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की टीप दिनांक 05.08.2024 से अभिमत दिया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

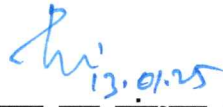
भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1204/2022/10-11/125
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/01/2025

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाइप लाईन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151448/2022)

----0----

उपरोक्त संबंध में प्रस्तावित सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु 4.9627 हेक्टेयर वन भूमि संबंधी प्रकरण में उप संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी द्वारा पत्र क्रमांक/तक./2024/4618 दिनांक 25.07.2024 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 06.07.2024 को आवेदक संस्था की ओर से उप प्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सिंगरौली के साथ प्रस्तावित/आवेदित वनभूमि के संबंध में के.एम.एल एवं जी.पी.एस. निर्देशांक सहित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु क्रमांक 13 के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

1. प्रस्तावित क्षेत्र संजय टाइगर रिजर्व, सीधी के हाथी कॉरीडोर का भाग है, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी के कंजर्वेशन प्लान Corridor and adjoining area plan के चेप्टर (1) (पृष्ठ क्रमांक 7, 8 एवं 9) की प्रति संलग्न है। हाथी कॉरीडोर के कारण भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा रेखीय परियोजनाओं/गैरवानिकी कार्यों के लिए जारी दिशा-निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE हेतु आवेदक संस्था को भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु खोदे जाने वाली ट्रेंच 500 मीटर लंबाई में खोदकर पाइप लाइन डाले जाने का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अगले 500 मीटर ट्रेंच की खुदाई की जावे, तथा ट्रेंच को सख्त रूप से भरकर समतल किये जाने की शर्त अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की जाती है, ताकि यदि ट्रेंच से हाथियों का आवागमन होता है, तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, साथ ही हाथियों के आवागमन की त्वरित सूचना हेतु A1 Based early warning system उपयोग किये जाने पर संभावित व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य रहेगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र वनमण्डल सिंगरौली के अंतर्गत वन एवं राजस्व भूमि के रूप में है। (के.एम.एल. मानचित्र संलग्न है)
उप संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त की जाकर प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र.

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), म.प्र.

सिंधी

प्रस्तुत है-

MOEF ने अपने पत्र दि. 4-9-2024 के 5 बिंदुओं पर जानकारी
चाही गयी है, 2-मे.प्र.सिंहगढ़/आवेदक क्रमांक 6 प्राप्त करने हेतु फार्म
प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत है।

APCEP (M)

सिंधी

सिंधी

11/03/24

U.O.NO/POB (SC&CWLV) 729
दि. 5-8-2024 270041

11/03/24